




पूर्व मध्य रेल/EAST CENTRAL RAILWAY  
प्लान्ट डिपो / PLANT DEPOT  
पं० दीन दयाल उपाध्याय / Pt. Deen Dayal Upadhyay

कार्यालय आदेश संख्या : २०/३


दिनांक 16/01/2021

अध्यक्ष, रेलवे भर्ती बोर्ड, पटना के पत्रांक RRB/PAT/Conf/01/2018/65/30, दिनांक 05.12.2019 के माध्यम से तकनी०-III/फीटर/वर्कशॉप, लेवल-02 (7वें वेतन आयोग के अनुसार) के पद पर नियुक्ति हेतु नामिकाबद्ध किए जाने के उपरांत मप्र (का०)/पूमरे/हाजीपुर के पत्रांक इसीआर/एचआरडी/रिकूट/आर.आर.बी./पैनल/तकनी०(इंजी), दिनांक 13.03.20 के आलोक में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 19.10.2020 के माध्यम से प्रेषित नियुक्ति के प्रस्ताव (Offer of appointment) में वर्णित शर्तों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित अभ्यर्थी को औपबधिक रूप से प्रशिक्षु तकनी०-III/फीटर/वर्कशॉप के पद पर नियुक्त करते हुए रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं० (RBE No.) 198/2008 एवं 08/2017 एवं समय-समय पर निर्गत संशोधनों के आलोक में निर्धारित प्रशिक्षण हेतु भेजा जा रहा है:

अभ्यर्थी का नाम (श्री/श्रीमती/ कु०)	पिता का नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	समुदाय	चिकित्सा श्रेणी, प्रमाण पत्र सं०, एवं दिनांक	पदस्थापना पर लेवल-02 में वेतन निर्धारण	पदनाम एवं पदस्थापित युनिट/स्टेशन	प्रशिक्षण अवधि
Sankar Sharma	Sonfi Sharma	25.05.1994	OBC	B-1 & Below 772956 09.07.2019	Rs.19900/	Tech-III/ Workshop/ PD	06 माह
	बायें अंगूठे का निशान	हस्ताक्षर		पहचान चिह्न (मूल भर्ती प्रपत्र के अनुसार)			
		हिन्दी में	शंकर शर्मा	1	A mole on right shoulder		
		अंग्रेजी में	Sankar Sharma	2	A mole on right foot		

निर्धारित प्रशिक्षण पूरी करने एवं सक्षमता जांच में सफल होने के उपरान्त इस कार्यालय के स्थापना अनुभाग के द्वारा इनकी नियमित नियुक्ति/पदस्थापना की जायेगी. इन्हें प्रशिक्षण के दौरान रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं० (RBE No.) 08/2017 के आलोक में प्रथम वर्ष वेतन वृत्तिका रू० 19900/- तथा समय-समय पर नियमानुसार लागू भत्ते देय होंगे. ये प्रशिक्षणार्थी के संबंध में समय-समय पर निर्गत निर्देशों/नियमों से शासित होंगे.

नियुक्ति के प्रस्ताव (Offer of appointment) में वर्णित सभी शर्तें लागू रहेंगी. इनकी नियुक्ति के संबंध में वे सभी शर्तें लागू होंगी, जो एक अस्थायी कर्मचारी पर लागू होती हैं. चरित्र सत्यापन, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन के दौरान प्रतिकूल प्रतिवेदन, त्रुटि, विसंगति तथा किसी भी सूचना के कभी भी गलत पाये जाने पर सेवा समाप्त कर दी जायेगी. प्रादेशिक सेना के रेलवे इंजीनियरिंग इकाई में 12 वर्षों तक तथा प्रादेशिक सेना में 06 वर्षों तक सैन्य सेवा करनी होगी, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया भी जा सकता है. इनकी सेवा रेलवे बोर्ड के परिपत्र F(E)/III/2003/PN-1/24 दिनांक 31.12.2003 द्वारा जारी सभी नियमों एवं विनियमों के अधीन दिनांक 01.01.2004 से प्रभावी नई पेंशन योजना एवं समय-समय पर बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों से शासित होंगे.

  
(दीपक राज राय)  
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी  
प्लान्ट डिपो, डीडीयू  
दिनांक 16.01.2021

संख्या: पत्रांक पीडी/ई/3/आरआरबी/तकनी०-III

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:

1. अधिशासी अभियंता/पीडी/डीडीयू - कृपया निर्धारित प्रशिक्षण कराने की व्यवस्था की जाए.
2. वरीय सहायक वित्त सलाहकार/पीडी/डीडीयू.
3. संबंधित वसेइ/पीडी/डीडीयू.
4. मुकार्याधी/स्थापना, वेतन विपत्र एवं पास/पीडी/डीडीयू.
5. समयपाल/पीडी/डीडीयू.
6. संबंधित कर्मचारी
7. अभिलेख हेतु

वकाधि/पीडी/डीडीयू